ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

अ०सं० :–3/अ०प्र०–1–169/2021 1879 /पटना, दिनांक :– 29.12.21

1. श्री समीर कुमार सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1 के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1 द्वारा निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं –

(i) जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 4866 दिनांक 19.11.2021 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध पंचायत आम निर्वाचन 2021 में गश्ती दल दण्डाधिकारी के दायित्व हेतु आयोजित प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने के कारण बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 130(2) के अंतर्गत गोपालगंज (नगर) थाना कांड संख्या–828/21 दिनांक 13.11.2021 दर्ज किये जाने संबंधी सूचना से अवगत कराते हुए नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की गयी।

(ii) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1 के पत्रांक 2135 दिनांक 18.11.2021 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध मार्च 2021 से अगस्त 2021 तक अस्वस्थता को आधार बनाकर मुख्यालय अनुपस्थित रहने एवं सिर्फ पत्राचार करने, यदा–कदा उपस्थित होकर कनीय अभियंताओं एवं संवेदकों को डराने–धमकाने तथा अवर प्रमंडलीय कार्यालय की चाभी लेकर फरार रहने से संबंधी आरोपों के लिए नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1 एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार श्री सिंह से मुख्यालय/कार्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, विभागीय कार्यों में अभिरूची नहीं लेने, उच्चाधिकारियों के आदेश के अवहेलना के लिये दोषी पाये गये हैं। साथ ही श्री समीर कुमार सिंह, सहायक अभियंता द्वारा योजनाओं के विपत्र तैयार करने के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में कार्यालय व्यवस्था के तहत पत्राचार के लिए निर्धारित पदसोपान की अवहेलना करते हुए सीधे सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से पत्राचार करने एवं अपने नियंत्री पदाधिकारी को संबोधित पत्र की भाषा शालीन एवं परिमार्जित नहीं होने संबंधी आरोपों के लिए दोषी पाये गये हैं।

3. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1 एवं श्री सिंह द्वारा विभाग को प्रेषित पत्र के समीक्षोपरांत श्री समीर कुमार सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1 उक्त गंभीर आरोपों के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं, जो बिहार सरकारी आचार नियमावली के प्रतिकूल है। तद्‌लोक में श्री सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः उक्त के आलोक में श्री समीर कुमार सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल, औरंगाबाद का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। जहाँ ये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेगें।

6. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 की सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29.12.21

(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–169/2021 1880 /पटना/दिनांकः– 29.12.21

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/सीवान/औरंगाबाद का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.12.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–169/2021 1880 /पटना/दिनांकः–29.12.21

प्रतिलिपि :–ई–कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० दो अतिरिक्त हार्ड कॉपी के साथ गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29.12.21

उप सचिव

ज्ञापांक:–3/अ०प्र०–1–169/2021 1880 /पटना/दिनांकः–29.12.21

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान/औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री समीर कुमार सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.12.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–169/2021 1880 /पटना/दिनांक:– 29.12.21

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

29.12.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–169/2021 1880 /पटना/दिनांक:– 29.12.21

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.12.21

उप सचिव